(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 609-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-05-2008 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1303/2006-07 अपील

कौशल सिंह पुत्र पॅजाब सिंह निवासी
ग्राम बड़िऔर तहसील सिरमौर, रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- संसारी सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
(मृतक वारिस)
अ- संतकुमार सिंह ब- राजेश सिंह स- संदीपसिंह
पुत्रगण स्व. संसारी सिंह
द- श्रीमती ललिता सिंह पत्नि स्व.संसारी सिंह
2- बाबूलाल सिंह उर्फ बबुल्ले उर्फ वंशबहादुर सिंह
पुत्र अमोल सिंह
3- श्रीमती कृष्णकुमारी पत्नि स्व.राजपति सिंह
4- महेन्द्रकुमार 5- सुजीत सिंह पुत्रगण स्व.राजपति सिंह
सभी ग्राम तेंदुहा तहसील सिहावल जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित- एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1-6-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1303/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार सिरमौर

के समक्ष उभय पक्ष की सामिलाती भूमि के बटवारे का दावा प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार सिरमोर ने प्रकरण कमांक 8 अ 27/ 2004-05 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई करके आदेश दिनांक 20-5-2005 पारित किया तथा उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि का बटवारा कर दिया। नायव तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 20-5-2005 के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 24 अ 27/2005-06 में आदेश दिनांक 20-8-2007 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 20-8-2007 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1303/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-5-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। नायव तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 20-5-2005 एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न खसरा एंव अन्य अभिलेख अनुसार बटवारा की गई भूमियां उभय पक्ष की सामिलाती भूमि है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में व्यवस्था दी गई है कि सामिलाती भूमि का कोई भी धारक स्वयं के हिस्से की भूमि के विभाजन का दावा ला सकता है। नायव तहसीलदार सिरमौर के बटवारा आदेश दिनांक 20-5-2005 को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने आदेश दिनांक 20-8-2007 में इस प्रकार निष्कर्ष देते हुये निरस्त किया है :-

A. धारा 178 के नियमों का पालन नहीं किया।

B. नियम 5-6 का पालन नहीं किया।

C. धारा 41 नियम 7 का पालन नहीं किया।

D. अनुसूची एक नियम 17 का पालन नहीं किया।

अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की है अर्थात सामिलाती भूमि को अनुविभागीय अधिकारी ने उसी स्थिति में पहुंचा दिया, जिसका बटवारा नहीं हुआ था। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 23-5-08 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये अपील निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेशों का आशय यही है कि भूमि का पक्षकारों के बीच बटवारा न होने पावे, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 इस प्रकार है :-

धारा 178 (1) - खाते का विभाजन - यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 20-8-2007 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 23-5-08 संहिता में दी गई उक्तानुसार व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दि0 23-5-08 , अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दि0 20-8-2007 तथा नायब तहसीलदार सिरमौर द्वारा नियम एंव प्रक्रिया का पालन किये बिना जारी आदेश दि.20-5-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सिरमौर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियमों के अनुरूप पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर